

कार्यालय-अपर निदेशक, पशुपालन विभाग, गढ़वाल मण्डल पौड़ी।

कार्यालय-आदेश

उत्तराखण्ड लोक सेवकों के लिये स्थानान्तरण अधिनियम, 2017 की धारा 17-1(ख) एवं कार्मिक एवं सतर्कता अनुभाग के कार्यालय पत्र संख्या 1/289938/XXX(2)/2025 दिनांक 15 अप्रैल, 2025 में निहित प्राविधानों के अनुसार स्थानान्तरण सत्र, 2025-26 हेतु मण्डल स्तर पर गठित स्थानान्तरण समिति की संस्तुति के आधार पर गढ़वाल मण्डल पौड़ी के अन्तर्गत कार्यरत निम्नांकित वैक्सीनेटरों का स्थानान्तरण तत्काल प्रभाव से उनके नाम के सम्मुख कॉलम-4 में अंकित नवीन तैनाती स्थान पर किया जाता है :-

(ख) अनुरोध के आधार पर स्थानान्तरण

क्र० स०	कार्मिक का नाम/पदनाम	वर्तमान तैनाती का स्थान	स्थानान्तरित नवीन तैनाती स्थान	अभ्युक्ति
1	2	3	4	5
1	श्री भगवान सिंह रौथान, वैक्सीनेटर	पशुचिकित्सालय कीर्तिनगर, टिहरी गढ़वाल	रा०प०चि० सचल देहरादून	निजी अनुरोध
2	श्री जय प्रकाश, वैक्सीनेटर	राजकीय भेड़ प्रजनन प्रक्षेत्र केदारकांठा(पोखरी), चमोली	रा०प०चि० राजपुर देहरादून	निजी अनुरोध
3	श्री श्याम सुन्दर, वैक्सीनेटर	पशुचिकित्सालय दिचली उत्तरकाशी	रा०प०चि० भटवाडी घनारी, उत्तरकाशी	निजी अनुरोध
4	श्री राजेन्द्र सिंह नेगी, वैक्सीनेटर	राजकीय पशुचिकित्सालय नरेन्द्रनगर टिहरी	रा०प०चि० ऋषिकेश, देहरादून।	निजी अनुरोध (दिनांक 01.07.2025 से प्रभावी होगा)
5	श्री सूरज कुमार, वैक्सीनेटर	राजकीय पशुचिकित्सालय काण्डीखाल टिहरी	रा०प०चि० नरेन्द्रनगर टिहरी	निजी अनुरोध

सम्बन्धित कार्मिक नियमानुसार कार्यमुक्त होकर निर्धारित समयान्तर्गत नवीन तैनाती स्थान पर योगदान करना सुनिश्चित करें। उक्त स्थानान्तरण हेतु सम्बन्धित कार्मिकों को किसी भी प्रकार का यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

(डा० मूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।

पृ०सं० 605

प्रतिलिपि:

- 1- सम्बन्धित कर्मचारी को अनुपालनार्थ।
- 2- सम्बन्धित पशुचिकित्साधिकारी।
- 3- मुख्य पशुचिकित्साधिकारी, टिहरी/उत्तरकाशी/चमोली/देहरादून।
- 4- सम्बन्धित मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी।
- 5- निदेशक, पशुपालन विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून।

(डा० मूपेन्द्र सिंह जंगपांगी)
अपर निदेशक।